

कार्यालय प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला.....

दाखिल खारिज पंजी के आधार पर प्रमाण - पत्र

दाखिल पंजी के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक.....

वल्द.....साकिन.....

तहसील.....जिला.....राज्य मध्यप्रदेश,

जन्मतिथि.....जाति.....पेशा.....

दाखिल तिथि.....खारिज तिथि.....

से कक्षा.....से कक्षा.....तक शिक्षा प्राप्त किया।

दाखिल खारिज पंजी का क्रमांक.....में उक्त विवरण दर्ज है। यह प्रमाण पत्र

दाखिल खारिज पंजी में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार जारी किया जाता है।

जो सत्य है।

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का नाम.....

प्राथमिक शाला का नाम.....

जिला.....

टीप :- उक्त प्रमाण पत्र कक्षा 1 से कक्षा 5 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार मात्र प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।